**ई–मेल / फैक्स**
**संख्या–1387 / 2020–सीएक्स–3**

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
रेलवे बोर्ड,
नई दिल्ली।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2020

विषयः–उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अन्य राज्यों से ट्रेन से आने वाले यात्रियों द्वारा कोविड–19 हेतु कोरेनटाइन सहित अनिवार्य प्रोटोकाल का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या 1169 / पांच–5 / 2020 दिनांक 28.05.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. चिकित्सा अनुभाग–5 द्वारा उक्त शासनादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन से यात्रा करने वालो के लिए निम्नानुसार प्रोटोकाल निर्धारित किया गया हैः–

1. यदि यात्री उ0प्र0 में ही ठहरने वाला है, तो उसे 14 दिन के होम क्वारेन्टाइन में जाना होगा।
2. यदि यात्री अल्प अवधि (एक सप्ताह से कम) के लिए प्रदेश में आ रहा है तथा यहाँ से किसी अन्य स्थान को जा रहा है अथवा वापस जा रहा है, तो उन्हें क्वारेन्टाइन में जाने की आवश्यकता नही होगी।
3. रेल यात्रा हेतु टिकट IRCTC से आनलाइन अथवा PRS के माध्यम से टिकट खिड़की से लिया जा सकता है। दोनो की स्थितियों में रेलवे द्वारा यात्रियों के सम्बन्ध में सूचनायें एकत्र की जाती है। प्रदेश सरकार को कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता होगीः–

   (i) यात्री का नाम (ii) यात्री की उम्र (iii) यात्री का लिंग (iv) यात्री का फोन नम्बर (v) क्या आंगतुक एक सप्ताह में वापस जा रहा है (हॉ / नहीं) (vi) यदि हॉ तो यात्रा की तिथि (vii) उ0प्र0 में निवास / अवस्थान का पता।
4. CRIS अथवा IRCTC द्वारा यात्रियों के सम्बन्ध में उपरोक्त सूचना ई–मेल railinfoup2020@gmail.com पर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा सूचना को जनपदवार अलग कर, यात्रियों की सूची सम्बन्धित जनपदों को दी जायेगी। जनपद इस सूचना को मोहल्ला / ग्राम निगरानी समिति को उपलब्ध कराएंगे।
5. यात्रियों के आगमन के पश्चात रेल विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन पर उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य में सहयोग प्रदान किया जाएगा।
6. यदि इस स्क्रीनिंग में किसी व्यक्ति में लक्षण पाये जाते है तो उसको मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा फैसिलिटी क्वारेन्टाइन ले जाकर उसकी जॉच करायी जायेगी। संकमित पाये जाने पर उसकी गंभीरता के आधार पर कोविड समर्पित एल–1, एल–2 अथवा एल–3 चिकित्सालय में भर्ती कराया जायेगा।
7. जो यात्री उत्तर प्रदेश छोड़ने की योजना नही बना रहे है उन्हें 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारेन्टाइन किया जाएगा। इन यात्रियों को होम क्वारेन्टाइन के लिए निर्धारित प्रोटोकाल का पालन करना होगा। घर के बाहर पोस्टर चिपकाने सहित होम क्वारेन्टाइन के बारे में पूर्व में जारी दिशा निर्देश, मोहल्ला निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समिति द्वारा सामुदायिक निगरानी–तंत्र लागू

होगें। स्थानीय जिला प्रशासन इन्हें किसी कार्यालय में योगदान करने अथवा अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु जॉच के पश्चात होम क्वारेन्टाइन में छूट देने हेतु अधिकृत होगा। आगमन के 6वें दिन आगन्तुक द्वारा अपना परीक्षण कराया जा सकेगा तथा निगेटिव आने पर होम क्वारेन्टाइन समाप्त कर दिया जाएगा।

8. यदि किसी व्यक्तिके पास अपने घर में होम क्वारेन्टाइन की पर्याप्त व्यवस्था (उस व्यक्ति हेतु पृथक शौचालय सहित) न हो तो उसे इन्स्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन में रखा जाएगा।

9. जो यात्री अल्प अवधि (एक सप्ताह से कम) के लिए प्रदेश में आ रहे है तथा यहॉ से किसी स्थान को जा रहे है अथवा वापस जा रहे है तो उन्हें अगली/वापसी की यात्रा का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इन्हें क्वारेन्टाइन में जाने की आवश्यकता नही होगी। ऐसे यात्रियों को हॉट–स्पॉट के कन्टेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नही होगी।

10. यदि वापस आने वाले आगन्तुक का प्रवास किसी आवासीय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रस्तावित है तो उक्त स्थान के प्रभारी के द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। प्रभारी द्वारा ऐसे स्थान का नियमित रूप से सेनीटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. यात्री में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस फूलने जैसे लक्षण विकसित होने की स्थिति में इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर–1800–180–5145 पर दी जाएगी या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क किया जाएगा।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्रोटोकाल का अनुपालन करने के सम्बन्ध में रेलवे के समस्त अधिकारियों को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि उक्त प्रोटोकाल का पैम्फलेट तैयार कराकर उत्तर प्रदेश के लिए यात्रा कर रहे यात्रियों को भी उपरोक्तानुसार प्रोटोकाल का अनुपालन किये जाने हेतु पैम्फलेट वितरित कराने की व्यवस्था भी कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

**(अवनीश कुमार अवस्थी)**
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से

**(अमिताभ त्रिपाठी)**
मुख्य सचिव।